

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (इन्सिडेन्ट कमांडर) शेरगढ़, जिला जोधपुर

क्रमांक:-/कोविड-19/2020/1774

दिनांक:-04.12.2020

आदेश:-

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 तथा राजस्थान डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत ग्राम पंचायत रामनगर तहसील शेरगढ़ को परित क्षेत्र जिसका प्रत्याख्यान संलग्न नक्शे में चिह्नित किया गया है नियंत्रण क्षेत्र (Containment Zone) होने से प्रतिषिद्ध क्षेत्र (Prohibited Area) घोषित किया जाता है। इस सम्बन्ध में आदेश दिये जाते हैं कि-

1. इस क्षेत्र में समस्त निवासी आवश्यक रूप से अपने घर पर ही रहेंगे व किसी भी प्रकार की गैर अनुमत कारण से बाहर विचरण नहीं करेंगे।
2. इस क्षेत्र का कोई भी निवासी इस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेगा।
3. अत्यावश्यक सेवा के लिए क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति बाहर से जाने वाले व्यक्ति इस क्षेत्र में जाने को अनुमत होंगे। परंतु वो पूर्ण सोशियल डिस्टेंसिंग व डिसाइफेंडेशन का ध्यान रखेंगे। परंतु ऐसी अनुमति अपरिहार्य होने पर ही दी जायेगी। केवल चिकित्साकर्मी, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस व अन्य व्यक्ति जो राज्यादेश की पालना में बड़ा जाने के लिए अनुमत हैं के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को आवागमन पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
4. इस क्षेत्र में रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो अत्यावश्यक सेवा से संबंधित हैं को सामान्यतः घर से बाहर स्थित कार्यालय या सेवा क्षेत्र में उन्हें कार्य में नहीं लिया जावे। अत्यावश्यक होने पर ऐसी राजकीय/निजी संस्था के प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वह ऐसे कार्मिक के रहवास का प्रबंध ऐसे क्षेत्र के बाहर ही करवाएं ताकि ऐसे व्यक्ति को पुनः प्रतिषिद्ध क्षेत्र में नहीं जाना पड़े।
5. गृह (मुप-9) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं. 33 (2) गृह-9/2019 दिनांक 22.09.2020 के आदेश के बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुमत गतिविधिया बाद विशेष अनुमति ही संचालित की जा सकेगी। ऐसी अनुमति केवल अपरिहार्य होने पर ही जा सकेगी।

उक्त क्षेत्र के अतिरिक्त अन्यत्र पूर्व में जारी आदेश प्रवृत्त रहेंगे। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रवृत्त रहेगा।

संलग्न:- उक्तानुसार।

min

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(इन्सिडेन्ट कमांडर)
शेरगढ़

क्रमांक:-/कोविड-19/2020/

दिनांक:- 12.2020

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. श्रीमान जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण महोदय जोधपुर
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी शेरगढ़ तत्काल पर्याप्त संख्या में टीम तैनात कर खोर दू खोर सर्वे कराये साथ ही हाईजीन को संदर्भ में प्रभारी हाईजीन सेल का सहयोग लेते हुए आवश्यक विसंक्रमण करावें।
3. तहसीलदार शेरगढ़ को भेजकर लेख है कि आप उक्त कार्यवाही की प्रभावी मॉनिटरिंग करे व समय पर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्थिति से अवगत करावे।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शेरगढ़ को प्रेषित लेख है कि उक्त आदेश की पालना करते हुए मेडिकल टीम के साथ आवश्यकतानुसार मय पुलिस जाब्ता के चिकित्सक दल को कार्यवाही करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करे।
5. विकास अधिकारी पंचायत समिति शेरगढ़
6. प्रशिक्षण प्रशासिका

min

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(इन्सिडेन्ट कमांडर)
शेरगढ़